रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1975/फाल्गुन 21, 1896

No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1975/PHALGUNA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th March 1975

SUBJECT.—*Licensing conditions relating to import from Canada of equipment and/or machinery and/or services under Canadian Development Line of Credit, dated 16th July, 1971 as amended on March 31, 1973 for C$ 20 million.*

No. 20-ITC(PN)/75.—Attention is invited to Ministry of Commerce Pubic Notice No. 139-ITC(PN)/73, dated 23-8-73, and Public Notice No. 41-ITC(PN)/74, dated 20-3-74.

2. Para 2 of Annexure to the Public Notice No. 139-ITC(PN)/73, dated 23-8-73 may be substituted as follows:—

"2. All shipments and payments must be completed before the 30th June, 1976. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted."

3. Other conditions of the Public Notices referred to in para 1 above remain unchanged.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1975

विषय.—2 करोड़ कनाडा डालर के लिए 31 मार्च, 1973 को यथा संशोधित कनाडा विकास लाइन ऋण दिनांक 16-7-71 के अधीन कनाडा से उपस्कर और/या मशीनरी और/या सेवाओं के आयात से सम्बन्धित लाइसेन्स शर्तें।

सं० 20-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 139-आई टी सी (पी एन)/73—दिनांक 23-8-73 और सार्वजनिक सूचना सं० 41—आई टी सी (पी एन)/74—दिनांक 20-3-74 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. सार्वजनिक सूचना सं० 139—आई टी सी (पी एन)/73—दिनांक 23-8-73 के अनुबन्ध के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"2. सभी पोतलदान और भुगतान 30 जून, 1976 तक अवश्य पूर्ण कर लेने चाहिएं। माल के पोतलदान पर अलग अलग भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी किस्म की कोई भी साख सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सार्वजनिक सूचना की अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975